भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1882

जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

देश में अर्ध-न्यायिक निकायों की कार्यप्रणाली

1882. श्री बिनोय विस्वमः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में सभी न्यायाधिकरणों/आयोगों और अर्ध-न्यायिक निकायों में रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है. न्यायिक और तकनीकी सदस्य रिक्तियों को विनिर्दिष्ट करने वाले प्रत्येक निकाय के तत्संबंधी पृथक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) देश में सभी न्यायाधिकरणों/आयोगों और अर्ध-न्यायिक निकायों में कर्मचारियों की कुल रिक्तियां कितनी है ;

(ग) देश में सभी न्यायाधिकरणों/आयोगों और अर्ध-न्यायिक निकायों में लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) देश में सभी न्यायाधिकरणों/आयोगों और अर्ध-न्यायिक निकायों के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है और कितना व्यय किया गया है तत्संबंधी पृथक आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) देश में अर्ध-न्यायिक निकायों में रिक्तियों और लंबित मामलों के क्या कारण हैं और इसके समाधान के लिए उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : देश में सभी न्यायाधिकरणों/आयोगों और अर्ध-न्यायिक निकायों के संबंध में जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। 08 ट्रिब्यूनल के संबंध में उपलब्ध डाटा **उपाबंध** के रूप में रखा गया है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1882 जिसका उत्तर 17 मार्च 2022 की दिया जाना है के लिए उपाबंध ।

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग (अधिकरण)	क. देश में सभी अधिकरणों/आयोगों और अर्ध-न्यायिक निकायों में रिक्तियों की कुल संख्या, न्यायिक और तकनीकी सदस्य रिक्तियों को निर्दिष्ट करने वाले प्रत्येक निकाय के लिए अलग-अलग डाटा;	ख. देश में सभी अधिकरणों/ आयोगों और अर्ध-न्यायिक निकायों में कर्मचारियों की कुल रिक्तियों की संख्या;	ग. देश में सभी अधिकरणों/ आयोगों और अर्ध-न्यायिक निकायों में लंबित मामलों की कुल संख्या;	घ. देश में सभी अधिकरणों/आयोगों और अर्ध-न्यायिक निकायों के लिए आवंटित कुल बजट और व्यय, उसके अलग-अलग आंकड़े; तथा	ङ. देश में अर्ध-न्यायिक निकायों में रिक्तियों और लंबित मामलों के समाधान के लिए उठाए गए कारणों और उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?
1.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग {केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी)	तारीख 11.03.2022 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में माननीय अध्यक्ष/सदस्यों के स्वीकृत 70 पदों (जम्मू और श्रीनगर में सीएटी की पीठ के लिए 04 नव सृजित पदों सहित) में से 31 पद भरे हुए हैं और 39 पद रिक्त पड़े हैं । .	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अधिकारियों/कर्म चारियों के स्वीकृत 1373 पदों में से 956 पद भरे हुए हैं और 417 पद रिक्त पड़े हैं.	31.12.2021 तक, कैट की विभिन्न पीठों में कुल 74,567 मामले लंबित हैं।	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कैट को कुल 133.00 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इस राशि में से 108.41 करोड़ रुपए का व्यय 28.02.2022 तक किया जा चुका है।	आज की तारीख में, कैट में माननीय अध्यक्ष/सदस्यों के 70 स्वीकृत पदों में से 39 पद रिक्त पड़े हैं। इन रिक्तियों का कारण यह है कि वर्ष 2019, 2020 और 2021 की रिक्तियों को विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अधिकरण के अध्यक्ष / सदस्यों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों के संबंध में चल रहे मुकदमों के कारण नहीं भरा जा सका। तथापि, अब

						अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 जारी होने और उसके अधीन नियम बनाने के पश्चात , कैट के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नाम निर्देशन के साथ एक उच्चाधिकार प्राप्त खोज-सह-चयन समिति के गठन के साथ शुरू हो गई है। । इसके अतिरिक्त, मामलों के लम्बित होने के कारण इस प्रकार हैं: (i) कुछ मामलों को इस कारण से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है कि मामले माननीय उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालयों के समक्ष न्यायाधीन हैं। (ii) कुछ मामलों को माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा लंबे समय के पश्चात बहाल/रिमांड किया गया है और

						अतः, ये मामले अधिकरण में अपनी मूल संस्था की तारीख को बनाए रखते हैं। (iii) कुछ मामलों को शुरू में चूक में रद्द कर दिया गया और पश्चात में बहाल कर दिया गया। (iv) कुछ मामलों में, विद्वान वकील उत्तर/प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए समय मांगते हैं। (v) इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान, केवल उन मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जहां दोनों पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए सहमत हुए थे। (च) वर्ष 2021 के अंत तक कुल लंबित 74,567 मामलों में 18,092 मामले सम्मिलित हैं जिन्हें वर्ष 2020 और 2021 में माननीय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय से कैट में स्थानांतरित किया गया है।

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>यह उल्लेखनीय है कि कैट की स्थापना के पश्चात से अब तक 8,70,409 मामले संस्थित किए जा चुके हैं और इनमें से 7,95,842 मामलों का निपटान किया जा चुका है। कैट में कुल मामलों का निपटान प्रतिशत 91.43% है। तथापि, पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए कैट द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(राष्ट्रीय हरित अधिकरण)</td><td>वर्तमान में अध्यक्ष का कोई पद नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में न्यायिक सदस्यों के पांच (05) पद और विशेषज्ञ सदस्यों के चार (04) पद रिक्त हैं।</td><td>01.01.2022 तक, एनजीटी में विभिन्न स्तरों पर एक सौ छियासठ (166) पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से साठ (60) पद रिक्त पड़े हैं।</td><td>28.02.2022 की स्थिति के अनुसार, एनजीटी प्रधान पीठ और इसकी चार क्षेत्रीय पीठों के समक्ष लंबित न्यायालय मामलों की कुल संख्या दो हजार दो सौ सैंतीस (2,237) है।</td><td>राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में आवंटित कुल बजट और व्यय निम्नानुसार प्रदान किया गया है:
(राशि करोड़ में)
<table><tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>बी.ई</th><th>आर.ई</th><th>वास्तविक व्यय</th></tr><tr><td>2019-20</td><td>42.00</td><td>36.40</td><td>33.53</td></tr><tr><td>2020-21</td><td>40.00</td><td>35.50</td><td>34.25</td></tr><tr><td>2021-22 (28.02.2022 तक)</td><td>43.00</td><td>44.00</td><td>36.11</td></tr></table></td><td>राष्ट्रीय हरित अधिकरण में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की रिक्तियों का कारण माननीय सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने और माननीय सदस्यों द्वारा दिया गया त्यागपत्र है। मंत्रालय एनजीटी में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए संभावित रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करता है। सरकार न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>प्रक्रिया में है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वित्तीय सेवा विभाग

(ऋण वसूली अधिकरण)</td><td>9/03/2022 को डीआरएटी और डीआरटी में समूह क अधिकारियों की पदस्थापना स्थिति

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पदनाम</th><th>मंजूर पद</th><th>स्थिति में</th><th>रिक्त</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अध्यक्ष (सीपी)</td><td>5</td><td>3</td><td>2*</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पीठासीन अधिकारी (पीओ)</td><td>39</td><td>19</td><td>20#</td></tr>
<tr><td>3</td><td>रजिस्ट्रार</td><td>44</td><td>39</td><td>5^</td></tr>
<tr><td>4</td><td>सहायक रजिस्ट्रार (एआर)</td><td>39</td><td>30</td><td>9^</td></tr>
<tr><td>5</td><td>वसूली अधिकारी (आरओ)</td><td>78</td><td>73</td><td>5^</td></tr>
</table>

*विभाग के तारीख 17/2/2022 के समसंख्यांक पत्र के माध्यम से सीपी के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए गए हैं।, चयनित पदधारियों को पद में सम्मिलित होने के लिए एक महीने</td><td>28.02.2022 को ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में लंबित मामलों की संख्या 1,62,272 (डीआरटी के एमआईएस में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर) है ।</td><td>वित्तीय वर्ष 2021-22 में सभी डीआरटी/डीआरएटी के लिए आवंटित कुल बजट 141.01 करोड़ रुपए है। 8/03/2022 के अनुसार सभी 39 डीआरटी और सभी 5 डीआरएटी का व्यय 129.42 करोड़ रुपए है।</td><td>डीआरटी में पीठासीन अधिकारियों (पीओ) के रिक्त पदों को भरने के संबंध में, यह निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

i. इस विभाग ने एक रिक्ति परिपत्र तारीख 12.07.2021 जारी किया था, विभिन्न डीआरटी में पीओ के पद के लिए विज्ञापन रिक्तियों और देश भर में किसी भी अन्य डीआरटी में प्रत्याशित और अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार करने के लिए, जो 31.03.2022 तक उद्भूत हो सकता है । खोज सह चयन समिति (एससीएससी) की सिफारिशों के आधार पर, डीओपीटी ने अपने कार्यालय ज्ञापन तारीख 20/02/2022 और 07/03/2022 के माध्यम से सभी 25 रिक्त पदों के लिए पीठासीन अधिकारियों के पद के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति</td></tr>
</table>

		का समय देता है। #विभाग के तारीख 20/2/2022 और 8/3/2022 के समसंख्यांक पत्रों के माध्यम से पीओ के चयनित पदधारियों को पद में सम्मिलित होने के लिए एक महीने का समय देते हुए सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए गए हैं । ^यह विभाग शीघ्र ही रजिस्ट्रार के पद के लिए रिक्ति परिपत्र, रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और वसूली अधिकारी के पद के लिए रिक्ति परिपत्र जारी करने की प्रक्रिया में है।			समिति (एसीसी) के विभिन्न डीआरटी में रिक्त पद अनुमोदन से अवगत कराया है। तारीख 20/02/2022 को 18 डीआरटी के लिए पीओ के पद के लिए और 8/03/2022 को 7 डीआरटी के लिए नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए गए हैं, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित डीआरटी में पीओ के पद पर सम्मिलित होने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। पांच (5) अभ्यर्थी पहले ही निम्नलिखित स्थानों पर सम्मिलित हो चुके हैं: - (क) डीआरटी- । चंडीगढ़ (ख) डीआरटी-।। चंडीगढ़ (ग) डीआरटी जबलपुर (घ) डीआरटी- । हैदराबाद (ङ) डीआरटी विशाखापत्तनम डीआरएटी में अध्यक्षों (सीपी) की नियुक्ति के संबंध में, यह निम्नानुसार सूचित किया जाता

					है: ii. इस विभाग ने तारीख 14.07.2021 के एक रिक्ति परिपत्र जारी किया था, विभिन्न डीआरएटी में सीपी के पद के लिए विज्ञापन रिक्तियों और देश भर में किसी भी अन्य डीआरटी में प्रत्याशित और अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार करने के लिए है, जो 31.03.2022 तक उद्भूत हो सकता है । खोज सह चयन समिति (एससीएससी) की सिफारिशों के आधार पर, डीओपीटी ने अपने तारीख 16/02/2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डीआरएटी में सभी 5 रिक्त पदों के लिए अध्यक्षों के पद के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरी से अवगत कराया है। 17/02/2022 को सभी 5 डीआरएटी के लिए सीपी के पद के लिए नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए गए हैं,

							चयनित उम्मीदवारों को संबंधित डीआरएटी में सीपी के पद पर नियुक्त करने के लिए एक मास का समय दिया गया है। तीन (3) अभ्यर्थी पहले ही डीआरएटी, इलाहाबाद, चेन्नई और कोलकाता में सम्मिलित हो चुके हैं।
4.	जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर	**रावी और ब्यास जल अधिकरण**	**न्यायिक** अध्यक्ष-01 सदस्य -01 **तकनीकी** निर्धारक-02	**रिक्त पद:-** कोर्ट मास्टर -02 पीपीएस -01 पीएस -01 पीए -01 एलडीसी -01 स्टाफ कार ड्राइवर - 02	पार्टी राज्यों द्वारा अधिनियम की धारा 5(3) के अधीन अधिकरण से मांगा गया स्पष्टीकरण/स्पष्टीकरण अधिकरण के समक्ष लंबित है।	कुल बजट आवंटित 2021-22 रु. 2.44 करोड़ कुल व्यय (28 फरवरी 22 तक)- रु. 1.03 करोड़	विभिन्न रिक्त पदों के लिए भर्ती विभिन्न चरणों में है।
		कृष्णा जल विवाद अधिकरण	**शून्य**	**शून्य**	केडब्लूडीटी में कृष्णा नदी जल विवाद पर एक मामला।	बजट आवंटन 2021-22 रुपए 350 लाख। व्यय 2021-22 (28.02.2022 तक): रु. 328 लाख	

		महदी जल विवाद अधिकरण *	**तकनीकी** निर्धारक-01	**कार्यकारी अभियंता - 1** कोर्ट मास्टर - 1	अंतरराज्यीय जल नदी अधिनियम 1956 की धारा 5(3) के अधीन तीन पक्ष राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय सरकार द्वारा संदर्भ फाइल किए गए हैं। तारीख 14.08.2018 के मुख्य अधिनिर्णय विरुद्ध सभी तीन पार्टी राज्यों ने माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील की है । वे अपीलें सुनवाई के लिए लंबित हैं। अत: चार निर्देश	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित कुल बजट = 3.63 करोड़ फरवरी 2022 तक किया गया खर्च = 3.23 करोड़	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>अधिकरण के समक्ष लंबित हैं।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>महानदी जल विवाद अधिकरण</td><td>शून्य</td><td>पीपीएस -2
कार्यकारी अभियंता (सिविल) - 1
कोर्ट मास्टर – 2
पीएस -1</td><td>महानदी जल विवाद पर एक मामला</td><td>वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित कुल बजट = 3.5 करोड़

फरवरी 2022 तक किया गया व्यय = 2.8817 करोड़</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)-रेलवे दावा अधिकरण</td><td><table><tr><th>पद का नाम</th><th>रिक्ति</th></tr><tr><td>अध्यक्ष</td><td>00</td></tr><tr><td>उपाध्यक्ष (न्यायिक)</td><td>02</td></tr><tr><td>उपाध्यक्ष (तकनीकी)</td><td>02</td></tr><tr><td>सदस्य (न्यायिक)</td><td>16</td></tr><tr><td>सदस्य (तकनीकी)</td><td>07</td></tr><tr><td>संपूर्ण</td><td>27</td></tr></table></td><td>28.02.2022 तक, रेलवे दावा अधिकरण में कर्मचारियों की 225 रिक्तियां थीं।</td><td>28.02.2022 तक, रेलवे दावा अधिकरण में कुल 25,574 मामले लंबित थे।</td><td>(i) वर्ष 2021-2022 के लिए सभी रेलवे दावा अधिकरण पीठों के लिए आवंटित संशोधित बजट 50 करोड़ रुपए है।

(ii) जनवरी, 2022 तक सभी आरसीटी पीठों का कुल वास्तविक व्यय 41.03 करोड़ रुपए है और फरवरी और मार्च, 2022 के लिए खर्च किया गया व्यय 9.96 करोड़ रुपये है।</td><td>रेलवे दावा अधिकरण (आरसीटी) में रिक्तियों और लम्बित मामलों के समाधान के लिए उठाए गए कारणों और उपचारात्मक कदमों का विवरण

(क) रेलवे दावा अधिकरण में रिक्तियों और लंबित मामलों के कारण:-
1.विभिन्न उच्च न्यायालयों/ उच्चतम न्यायालयों में विभिन्न न्यायालय मामलों के लंबित होने के कारण रेलवे दावा अधिकरण की विभिन्न पीठों में सदस्यों के कई पद रिक्त पड़े हैं। 11.03.2022 तक कुल 46 स्वीकृत पदों में से 27 रिक्त</td></tr>
</table>

						हैं। 2. रेलवे दावा अधिकरण में, न्यायिक प्रक्रिया में विभिन्न चरण सम्मिलित होते हैं जैसे मामले फाइल करना, लिखित कथन (डब्ल्यूएस) करना, साक्ष्य, साक्षी और पक्ष की प्रतिपरीक्षा और बहस, जिसमें मामलों के निपटान में कुछ समय लगता है। तथापि, यदि सभी दस्तावेज क्रम में हैं और समय पर फाइल किए गए हैं, तो मामलों का निपटारा तेजी से किया जाता है। 3. 28.02.2022 की स्थिति के अनुसार, रेलवे दावा अधिकरण की विभिन्न पीठों में कर्मचारियों की कुल 225 रिक्तियां थीं, जो न्यायालय की कार्यवाही को धीमा करने का एक कारण भी है। 4. कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान मामलों की भौतिक सुनवाई बंद कर दी गई थी। **(ख) रिक्तियों और लंबित मामलों की समस्या के समाधान**

						के लिए उठाए गए उपचारात्मक कदम:- 1. उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 27-11-2020 के परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 635 (अ), तारीख 15.09.2021 के माध्यम से अधिकरण में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तों के संबंध में अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। तदनुसार, रेल मंत्रालय द्वारा 02 उपाध्यक्ष (न्यायिक), 02 उपाध्यक्ष (तकनीकी), 16 सदस्य (न्यायिक) और 07 सदस्य (तकनीकी) के रिक्त पदों को भरने के लिए रिक्ति अधिसूचना जारी की गई है। सदस्यों के चयन के लिए खोज-सह-चयन समिति भी गठित की गई है, जो प्रक्रियाधीन है। 2. सभी क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली रेलवे दावा अधिकरण पीठों में रिक्तियों को

						भरने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं । 3. अधिकरणों में सर्किट न्यायपीठों का आयोजन, जहां माननीय सदस्य तैनात नहीं हैं। 4. लंबित मामलों को कम करने और घायलों और मृतक के परिवार को समय पर न्याय दिलाने के लिए समय-समय पर विभिन्न पीठों में लोक अदालतों का आयोजन किया गया है । 5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय की तलाश में गरीबी एक बाधा नहीं है, विधिक सहायता स्कीम के अधीन गरीब वादियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। 6. माननीय अध्यक्ष ने खंडपीठ में फाइल मामलों के लिए क्षेत्रीय रेलवे द्वारा लिखित विवरण (डब्ल्यूएस) और डीआरएम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में तेजी लाने के लिए मामले को स्वत: उठाया है। लगातार प्रयासों के कारण, डब्ल्यूएस लंबित मामले मार्च/2021 में 6525 से घटकर फरवरी/2022

						में 567 हो गई है। 7. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में वर्ष 2016, 2018, 2019 में उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए और 2017 में दिल्ली न्यायिक अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कोविड के दौरान सदस्यों को आरसीटी का कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए आभासी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 8. 22.11.2016 को पोखरायण स्टेशन पर और 22.01.2017 को कुनेरू रेलवे स्टेशन पर एक घातक ट्रेन दुर्घटना में ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए, तत्कालीन माननीय अध्यक्ष, आरसीटी, दिल्ली द्वारा स्व-प्रेरणा आदेश पारित किए गए थे। दावेदारों को प्रतिकर के तत्काल भुगतान के लिए जिससे लंबी प्रक्रिया को टाला जा सके और पार्टियों को मुआवजे के लाभों का एहसास करने में सक्षम बनाया जा सके

						जिससे मौखिक साक्ष्य की परीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से कोई मामला फाइल करना आवश्यक न हो, सिवाय इसके कि जहां आवेदकों की पहचान सत्यापन या प्रतियोगिता के लिए एक मुद्दा है। 9. दावों के मामलों के कागज रहित और शीघ्र निपटान के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा आरसीटी बेंचों (ई-आरसीटी) का कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण शुरू किया गया है। 10. कोविड-19 की विद्यमान स्थिति में न्यायालय कार्यवाही वर्चुअल रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जा रही है। पीठों के निर्बाध न्यायिक आक्षेप के लिए सभी प्रयास किए गए। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आरसीटी के सदस्यों के लिए विभिन्न न्यायिक पहलुओं पर सेमिनार भी आयोजित किए गए क्योंकि अधिकांश सदस्य (तकनीकी)

						हाल ही में अधिकरण में सम्मिलित हुए हैं।
6.	दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण)	सदस्य का 01 पद रिक्त है	स्टाफ के 16 पद रिक्त हैं	28.02.2022 को 4019 मामले लंबित	पिछले 3 वर्षों में वास्तविक व्यय: 2018-19: रु. 17.01 करोड़ 2019-20 : रु. 17.02 करोड़ 2020-21: रु। 19.06 करोड़ 2021-22 : रु. 16.34 करोड़	(i) सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न सदस्य की रिक्ति (ii) विभाग ने सदस्य, टीडीसैट . के पद को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है (iii) टीडीसैट में कर्मचारियों की रिक्तियों को टीडीसैट द्वारा 16.02.2022 को विज्ञापित किया गया है।
7.	श्रम और रोजगार मंत्रालय (केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय / राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण)	केंद्रीय सरकार के औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय/राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण में पीठासीन अधिकारियों (न्यायिक) के 14 रिक्त पद हैं।	01.01.2022 को सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी में कर्मचारियों की कुल रिक्तियों की संख्या 80 है।	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन 31.01.2022 तक सभी सीजीआईटी-सह-एलसी/एनआईटी में कुल लंबित मामले 23886 है। ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के	आंकड़े हजारों में : बीई 2021-22: रु। 140000 आरई 2021-22: रु। 135500 फरवरी, 2022 तक व्यय - रु. 125684	विरामी न्यायिक घोषणाओं के कारण सीजीआईटी-सह-एलसी में पीओ की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया है। तथापि, हाल ही में पीठासीन अधिकारियों की रिक्तियों का विज्ञापन किया गया है।

				अधीन 31.01.2022 तक सभी सीजीआईटी-कम-एलसी में कुल लंबित मामले 7160 है।		
8.	विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण)	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) में न्यायिक सदस्यों और लेखाकार सदस्यों की रिक्तियों की कुल संख्या नीचे दी गई है: - न्यायिक सदस्य में रिक्तियां: 20 लेखाकार सदस्य में रिक्तियां: 16	आईटीएटी की रजिस्ट्री में अब तक 348 पद रिक्त हैं।	तारीख 01.03.2022 की स्थिति के अनुसार आईटीएटी के समक्ष निर्णय के लिए कुल 52093 अपीलें लंबित हैं।	आरई 2021-22 में आईटीएटी को 236.80 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसके लिए 28.02.2022 तक 212.63 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।	रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि रिक्तियां सेवानिवृत्ति, वीआरएस, मृत्यु आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। जहां तक आईटीएटी का संबंध है, रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में हाल ही में आईटीएटी में 21 नए लेखाकार/न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

****